HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14117/2026
CNR: RJHC020870562026 | URN: CRLMB / 26049U / 2026

Ranveer @ Ranveer S/o Viri Singh, Aged About 55 Years, R/o Jatoli Thoon, Police Station Januthar, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Karanpal Singh
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Ved Prakash Sogarwal Mr. Om Prakash Godara

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना जनूथर जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 85/2025 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 127(2), 191(2), 191(3), 190, 118(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि पक्षकारों के बीच जमीन को लेकर विवाद था, उसी पर यह झगड़ा हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि आहतगण हरेन्द्र एवं विश्वेन्द्र पर गोली आदि चलाने का आक्षेप सहअभियुक्तगण सचिन एवं ओंकार पर था, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लाठियों से मारने का ही आक्षेप है। सहअभियुक्तगण ओंकार एवं सचिन को पूर्व में जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसने स्वयं न्यायालय में समर्पण

किया है। उसके विरूद्ध पूर्व के चार मुकदमे इसी जमीन से सम्बन्धित हैं। उनका यह भी तर्क है कि तितम्बा आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है, अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त 8–10 माह तक फरार रहा था तथा उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी था, जिसके बाद उसने समर्पण किया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में 18 वर्ष के बच्चे की तीन अंगुलियां कटी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण पर हमला किया है। घटना में आग्नेयास्त्र की चोटें भी कारित हुई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पर भी सभी अभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठियों से मारने का आक्षेप है। गम्भीर अपराध है। उसके विरूद्ध पूर्व के भी चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आहतगण हरेन्द्र एवं विश्वेन्द्र पर गोली चलाने का आक्षेप सहअभियुक्तगण ओंकार एवं सचिन पर है, जिनकी जमानत पूर्व में हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लाठी से मारने का आक्षेप है। अनुसंधान से पक्षकारों के मध्य जमीन का विवाद होना सामने आया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध तितम्बा आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है, अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रणवीर उर्फ रनवीर पुत्र वीरी सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं**

विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

4/AJAY KUMAR SINGHAL